बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पटना, दिनांक 05/02/2013

पत्रांक 137637

ग्रा0वि0- 07 अनु0को0- 78/2012

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त–सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा पर विधिक जागरूकता शिवरों एवं लोक आदालतों का आयोजन ।**

प्रसंग:- **सदस्य सचिव, बिहार राज् विधि सेवा प्राधिकार पटना का पत्रांक- 1929 दिनांक- 17.12.2012 ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदेभित के पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य विधि सेवा प्राधिकार द्वारा जिला में शिविरों के माध्यम से माहत्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता का आयोजन किया जा रहा है । उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि:-

1. जिला स्तर पर इस कार्य हेतु एक उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी का नामित करने की कृपा की जाय ।
2. इस संबंध में आप जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष/जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सचिव-सह-सबजज प्रथम के साथ बैठक कर जिले में मनरेगा के संबंध में विधिक जागरूकता अभियान के लिए कार्यक्रम तैयार कर उनके अनुसार जागरूकता अभियान संचालित की जाय।
3. इस संदर्भ में विधि जागरूकता का कार्यक्रम बना ली जाय जिसके अनुसार पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा सके ।
4. सुलभ संकेत हेतु सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना का सत्र एवं अन्य कागजात संलग्न किये जा रहे है ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा